अपील प्राधिकारी-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-के अंतर्गत

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

एस.सी.ओ. 5-10, सेक्टर -16ए फरीदाबाद, पिन:121002

अपील पत्र दिनांक:**15.02.2022**

संदर्भ सं0: ई.डी./सचिवालय/आर. टी. आई./2091 **दिनांक:** 22.03.2022

लोक प्राधिकारी का नाम : पावरग्रिड उ. क्षे-1 मुख्यालय फरीदाबाद -121002

आदेश

आर. टी. आई प्रार्थना पत्र दिनांक 31.12.2021 जो कि **श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री तेजमालसिंह,** ग्राम कानासर, तहसील व जिला बीकानेर से अपील पत्र दिनांक 15.02.2022 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 21.02.2022 को प्राप्त हुआ। अपील पत्र दिनांक 15.02.2022 के माध्यम से अपीलकर्ता ने बताया है कि आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र में मांगी गई जानकारी सी.पी.आई.ओ. बीकानेर द्वारा नही प्रदान की गई है।

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत आर. टी. आई प्रार्थना पत्र दिनांक 31.12.2021 का अवलोकन करने के उप्रांत यह देखा गया है कि पत्र बीकानेर कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी को भेजा है। आपको यह जानकारी देना है कि उ. क्षे.1 का केंद्रिय लोक सूचना अधिकारी का कार्यालय फरिदाबाद मे है। अब आपके अपील पत्र दिनांक 15.02.2022 को सम्बंधित कार्यालय में भेजा गया। इस अनुसार आपके आर.टी.आई प्रार्थना पत्र के बिंदु न.3 (ग) 1 से 5 के द्वारा मांगी गई जानकारी बिन्दुवार निम्न है:

बिंदु न.	मांगी गई जानकारी	पावरग्रिड द्वारा दी गई जानकारी
3(ग) 1	पॉवर ग्रिड द्वारा बीकानेर -2, ग्रिड सब-स्टेशन, जयमलसर से खेतडी के लिए राजस्व गांव कानासर से होते हुए निकाली जा रही विधुत पारेषण लाईन (ट्रांसमिशन लाईन) के लिए किये गये सर्वे की सत्याप्रतियां प्रदान करें।	महोदय पावरग्रिड द्वारा बीकानेर-2 उपकेन्द्र जयमलसर से खेतड़ी के लिए राजस्व गाँव कानासर से होते हुए जो पारेषण लाइन निकाली जा रही है वो लाइन 400 के. वी. द्वि परिपथ बीकानेर-2 खेतड़ी पारेषण लाइन पार्ट 1 है। चूँकि सर्वे की फाइल का आकार विस्तृत है अतः आप पावरग्रिड बीकानेर ऑफिस से संपर्क

...2

		कर उपयुक्त समय लेकर फाइल का अवलोकन कर सकते है ।
3(ग) 2	पॉवर ग्रिड द्वारा बीकानेर -2, ग्रिड सब-स्टेशन, जयमलसर से खेतडी के लिए राजस्व गांव कानासर से होते हुए निकाली जा रही विधुत पारेषण लाईन (ट्रांसमिशन लाईन) के लिए जारी अधिसूचनाओं यथा भू-अवाप्ति की धारा 4, धारा 6, धारा 9, 164 या अन्य आवश्यक अधिसूचनाओं की सत्यप्रतियं प्रदान करें ।	महोदय उपरोक्त पारेषण लाइन के लिए जारी अधिसूचना (i) **राजस्थान पत्रिका दिनांक 30.06.2021 (ii) टाइम्स ऑफ़ इंडिया दिनांक 30.06.2021 (iii) भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 21-27 अगस्त 2021** (अधिसूचना की प्रतिलिपि सलंग्न है)
3(ग) 3	पॉवर ग्रिड द्वारा बीकानेर -2, ग्रिड सब-स्टेशन, जयमलसर से खेतडी के लिए राजस्व गांव कानासर से होते हुए निकाली जा रही विधुत पारेषण लाईन (ट्रांसमिशन लाईन) के लिए जिन किसानों की भूमि लाईन में आ रही है की सूची, अवाप्ति अधिकारी का नाम, पता एवं भूमि अवाप्ति कार्यवाही का विवरण यथा अवार्ड व दिये गये मुआवजे की सूची की सत्यप्रतियां प्रदान करें ।	उपरोक्त पारेषण लाइन में किसी भी तरह की भूमि अवाप्ति नहीं किया गया है ।
3(ग) 4	पॉवर ग्रिड द्वारा बीकानेर -2, ग्रिड सब-स्टेशन, जयमलसर से खेतडी के लिए राजस्व गांव कानासर से होते हुए निकाली जा रही विधुत पारेषण लाईन (ट्रांसमिशन लाईन) के लिए जयमलसर से खेतडी के बीच आने वाले गांवों व कस्बों की ग्राम पंचायतों, शहरों की नगरपालिकाओं व नगर विकास न्यास से प्राप्त अनापति प्रमाण पत्रों की सत्याप्रतियां प्रदान करें ।	महोदय उक्त प्रकार की अनापति प्रमाण पत्र लेने का प्रावधान नहीं है ।
3(ग) 5	पॉवर ग्रिड द्वारा बीकानेर -2, ग्रिड सब-स्टेशन, जयमलसर से खेतडी के लिए राजस्व गांव कानासर से होते हुए निकाली जा रही विधुत पारेषण लाईन (ट्रांसमिशन लाईन) के लिए पर्यावरण विभाग भारत	महोदय उक्त लाइन अरावली अधिसूचना 1992 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रो से नहीं गुजरती है । अतः उक्त अनापति लागु नहीं होती है ।

	सरकार के अनापत्ति पत्र की सत्याप्रतियां प्रदान करें ।	

अतः आपके द्वारा मांगी गई जानकारी उप्रोक्तानुसार है एवं आपकी अपील को बंद किया जाता है ।

[ए. के. मिश्रा]
कार्यपालक निदेशक, उ.क्षे .I एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
इ-मेल:akmishra2@powergrid.in, फोन न. 0129-2666301

प्रतिलिपि :

1. **श्री इन्द्रसिंह पुत्र तेजमालसिंह,** ग्राम कानासर, तहसील व जिला बीकानेर **(मो. न. 6378981543)** : आपके अपील पत्र दिनांक 15.02.2022 के संदर्भ में ।
2. **श्री राजेश वी., मुख्य महाप्रबंधक (पी .ई .एस .एम्/परियोजना) एवं अधिकृत सी पी आई ओ, उ.क्षे.I:** सूचना एवं रिकार्ड हेतु ।
3. **मुख्य महाप्रबंधक (जोधपुर):** सूचनार्थ एवं रिकार्ड हेतु ।